

पदेवी
25/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
श्री. जगन्नाथ य. उपाध्याय	ना	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
	म	

वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act
शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 232/2021 GCMS No. 2021/851

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25/11/2021	<p>वादी श्री <u>जगन्नाथ य. उपाध्याय</u> निवासी - <u>कारेडी</u> द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत <u>परेली</u> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत <u>2073-2074</u>..... ग्राम <u>कारेडी</u> पटवार मण्डल <u>परेली</u> के खाता नम्बर <u>211</u> मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि <u>राजकीय प्राथमिक विद्यालय - कारेडी</u> दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम <u>राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कारेडी</u> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. <u>.....</u> आधार नम्बर <u>.....</u> मतदाता पहचान पत्र <u>.....</u> अन्य दस्तावेज <u>मिडिल क्लास</u> <u>विद्यार्थी के पत्र 2019-20/24.18.18</u> की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी <u>परेली</u> भू.अ.नि <u>.....</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

963-965